दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 03 दिसम्बर, 2003 / अग्रहायण 12, 1925 (शक)

संख्या: 278

सदस्य की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य डॉ. नरेन्द्र नाथ को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 03/12/2003 को पूर्वाहन 11.24 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सिहत उसी दिन अर्थात् दिनांक 03/12/2003 को अपराहन 3.20 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday, 03rd December, 2003 / Agrahayana 12, 1925(Saka)

No.: 278

1

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, East Distt, Delhi: -

"I have the honour to inform you that Dr. Narender Nath, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 11.24 A.M. on 03/12/2003.

He alongwith his supporters was released at 3.20 P.M. on the same day i.e. 03/12/2003."

SIDDHARTH RAO SECRETARY